CNR-UPLL010010912026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), ललितपुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 290/2026

सोनू अहिरवार उम्र 20 वर्ष पुत्र श्री नरेश अहिरवार, निवासी ग्राम बाजना, थाना रक्सा, जिला झांसी, उ०प्र०।

...आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट आफ यूपी

...अभियोगी/विपक्षी।

एस०एस०टी० संख्या 27/2017

अन्तर्गत धारा- 394, 397, 411 भा.द.सं.

थाना तालबेहट, जिला ललितपुर।

16.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त सोनू अहिरवार द्वारा एस०एस०टी० संख्या 27/2017 अन्तर्गत धारा- 394, 397, 411 भा.द.सं. थाना तालबेहट, जिला ललितपुर में दाखिल किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त दिनांक 15.03.2024 के पूर्व तक न्यायालय के समक्ष निरंतर उपस्थित रहा है। दिनांक 08.03.2024 से 17.04.2024 तक जिला कारागार छतरपुर म०प्र० में अन्य प्रकरण में निरुद्ध रहा। इसके बाद दिनांक 17.04.2024 से 13.09.2024 पुलिस रिमाण्ड पर सब जेल निवाड़ी में रहा, जिस कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका था। दिनांक 13.09.2024 से दिनांक 01.10.2026 तक पिछोर म०प्र० जेल में, जिस कारण उसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में दिनांक 30.03.2024 को गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया तथा पुलिस मुठभेड़ में पकड़कर दिनांक 04.06.2025 को जिला कारागार ललितपुर में बन्द कर दिया गया, तब से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्त अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

3. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त धारा 394, 397, 411 भा.द.सं. जैसे गंभीर अपराध से आरोपित है। अभियुक्त के विरुद्ध एनबीडब्लू जारी होने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाए।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.03.18 16:59:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था, उसके द्वारा न्यायालय के आदेशों एवं जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। बहस दौरान तर्क किया गया है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त दिनांक 15.03.2024 के पूर्व तक न्यायालय के समक्ष निरंतर उपस्थित रहा है। दिनांक 08.03.2024 से 17.04.2024 तक जिला कारागार छतरपुर म०प्र० में अन्य प्रकरण में निरुद्ध रहा। इसके बाद दिनांक 17.04.2024 से 13.09.2024 पुलिस रिमाण्ड पर सब जेल निवाड़ी में रहा, जिस कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका था। दिनांक 13.09.2024 से दिनांक 01.10.2026 तक पिछोर म०प्र० जेल में, जिस कारण उसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में दिनांक 30.03.2024 को गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया तथा पुलिस मुठभेड़ में पकड़कर दिनांक 04.06.2025 को जिला कारागार ललितपुर में बन्द कर दिया गया, तब से जिला कारागार में निरुद्ध है, उसके जेल में निरुद्ध रहने से उसके मन-मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं आधार कार्ड प्रति दाखिल किये गये हैं। अतः उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुये व गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सोनू अहिरवार द्वारा एस०एस०टी० संख्या 27/2017 अन्तर्गत धारा- 394, 397, 411 भा.द.सं. थाना तालबेहट, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-290/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 1,00,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू(जिसमें से एक परिवार के सदस्य का हो) दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

2. आवेदक/अभियुक्त अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोई छूट आवेदन नहीं देगा और न्यायिक कार्यवाही में आवश्यकतानुसार सहयोग करेगा।

दिनांक **16.03.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०),
ललितपुर।